संख्या-400/2025/322 के-2/22-3-2025-17(98)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 08 अगस्त, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजावधि से दण्डित बन्दी अतुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-35546/प्रो0-7/सीमित/एम-30.11.2023 दिनांक-11.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजावधि से दण्डित बन्दी अतुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जो-ग्राम नवलपुर, थाना-फरिहा, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बंदी व उसका परिवार वादी की बेटी सुमन से शादी किये जाने के उपरान्त दहेज में 05 लाख रू0 की अतिरिक्त मॉग करते थे। अतिरिक्त दहेज की मॉग पूरी ने होने पर वादी की बेटी से बंदी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट करते थे। दिनांक 05.06.2017 को वादी की बेटी का फोन आया कि इन लोगों ने मुझे कुछ पिला दिया और मुझे उल्टिया हो रही है। वादी जब वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी जिला अस्पताल में भर्ती थी। इलाज के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-556/2017 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी/34, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं0-2, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 04.02.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.07.2023 तक बन्दी की आयु 30 वर्ष, 04 माह, 07 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में पुन: अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुन: अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष सीमित सजावधि से दण्डित बन्दी अतुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजावधि से दण्डित बन्दी अतुल कुमार (बन्दी संख्या-19192) पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

निवासी जनपद-फिरोजाबाद को फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार बंदी के फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-400/2025/322 के-2/22-3-2025-17(98)/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-400/2025/322 के-2/22-3-2025-17(98)/2024

दिनांक- 08 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष सीमित सजावधि से दण्डित बन्दी अतुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जो-ग्राम नवलपुर, थाना-फरिहा, जनपद-फिरोजाबाद का निवासी है। बंदी व उसका परिवार वादी की बेटी सुमन से शादी किये जाने के उपरान्त दहेज में 05 लाख रू0 की अतिरिक्त मॉग करते थे। अतिरिक्त दहेज की मॉग पूरी ने होने पर वादी की बेटी से बंदी अपने 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर मारपीट करते थे। दिनांक 05.06.2017 को वादी की बेटी का फोन आया कि इन लोगों ने मुझे कुछ पिला दिया और मुझे उल्टिया हो रही है। वादी जब वहां पहुंचा तो देखा कि उसकी बेटी जिला अस्पताल में भर्ती थी। इलाज के कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-556/2017 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-304बी/34, 498ए व 4 डी0पी0 एक्ट के अन्तर्गत मा० अपर सत्र न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) कक्ष सं0-2, फिरोजाबाद के आदेश दिनांक 04.02.2020 द्वारा 10 वर्ष के कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.07.2023 तक बन्दी की आयु 30 वर्ष, 04 माह, 07 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, बंदी द्वारा भविष्य में पुनः अपराध कारित करने से इंकार नहीं किये जाने, बंदी द्वारा पुनः अपराध करने की प्रबल संभावना होने, बंदी को जेल में और आगे निरूद्ध करने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुये बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष सीमित सजावधि से दण्डित बन्दी अतुल कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।